दिनांक 31.05.2022 को प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 31.05.2022 को प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के आयुक्त के सचिव, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, जिलों के सिविल सर्जन, सहायक औषधि नियंत्रक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं उनके कार्यों की समीक्षा प्रारम्भ की गई। बैठक का मुख्य ऐजेंडा निम्नवत् था :-

- जिलों में पदस्थापित चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मियों का स्वीकृत बल, पदस्थापन, रिक्ति एवं प्रतिनियुक्ति की अद्यतन स्थिति।
- दवा आपूर्ति,उपलब्धता एवं जाँच की अद्यतन स्थिति।
- स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स ऐजेंसी द्वारा साफ-सफाई, जेनरेटर आदि की व्यवस्था की अद्यतन स्थिति।
- गर्भवती माताओं के भुगतान की अद्यतन स्थिति।
- आशा कार्यकर्त्ताओं के भुगतान की अद्यतन स्थिति।
- स्वास्थ्य संस्थाओं में एम्बुलेंस की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति।
- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय -सह- अस्पताल, पूर्णिया में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी की अद्यतन स्थिति।
- जिलों में कायाकल्प, लक्ष्य एवं NQAS प्रमाणीकरण हेतु चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों के नाम एवं की गई तैयारी की समीक्षा।

बैठक में बिंदुवार सभी ऐजेंडा पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत महत्वपूर्ण निदेश दिये गये जो इस प्रकार हैं:-

- स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सिविल सर्जन द्वारा किसी चिकित्सकों / अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है उन प्रतिनियुक्तियों को रद्द किया जाय एवं अगर प्रतिनियुक्ति आवश्यक है तो स्वास्थ्य विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर हीं प्रतिनियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की जाय। तीन साल से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मी का स्थानांतरण जून माह में निश्चित रुप से कर दिया जाय और इसका अनुपालन प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन-सिविल सर्जन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- चिकित्सकों के लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रख्यापित नियमों के अनुरुप करने का निदेश दिया गया। विभाग को ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध विधिवत् आरोप पत्र गठित कर सभी साक्ष्यों के साथ भेजने का निदेश दिया गया एवं ऐसे मामलों की समीक्षा कर एक पक्ष के अंदर विस्तृत प्रतिवेदन (चिकित्सकों की सूची सहित) उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन-चिकित्सा पदाधिकारी / सिविल सर्जन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों को सभी जगह क्रियाशील करने की कार्रवाई की जाय। भूमि प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित सिविल सर्जन इसकी समीक्षा कर लेंगे।

(अनुपालन–चिकित्सा पदाधिकारी / सिविल सर्जन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- सिविल सर्जन, अररिया को निदेश दिया गया कि विशेषज्ञ चिकित्सक एवं सामान्य चिकित्सक के पदस्थापन हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार किया जाय और उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी दी जाय।

(अनुपालन– सिविल सर्जन, अररिया)

- आगामी बाढ़ को ध्यान में रखते हुए सभी अस्पतालों में दवा आपूर्ति एवं उसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय, साथ ही साथ इनडोर एवं आउटडोर से संबंधित सभी दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जाय।

(अनुपालन–सिविल सर्जन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- स्वास्थ्य संस्थाओं में किसी प्रकार के आउटसोर्सिंग सेवा लेने हेतु बिहार वित्तीय नियमावली के नियमों के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(अनुपालन–सिविल सर्जन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पड़े पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस कराकर नियुक्ति हेतु वर्गवार अधियाचना स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जाय।

(अनुपालन–सिविल सर्जन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- गर्भवती माताओं के प्रोत्साहन राशि और आशा के वेतन / मानदेय भुगतान के संबंध में अबिलंब भुगतान की कार्रवाई की जाय एवं एक माह के अंदर भुगतान संबंधी लंबित सभी मामलों का निष्पादन कर दिया जाय।

(अनुपालन–सिविल सर्जन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- सहायक औषधि नियंत्रक नियमित अंतराल पर थोक दवा विक्रेताओं एवं खुदरा दवा विक्रेताओं की जाँच टीम बनाकर करें एवं समंतव्य जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सहायक औषधि नियंत्रक, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज)

- अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया को निदेशित किया गया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जाय एवं पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाय ताकि किसी भी मरीज एवं उनके परिजनों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(अनुपालन – अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया)

प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया द्वारा कायाकल्प कार्यक्रम एवं लक्ष्य प्रमाणीकरण कार्यक्रम की समीक्षा के उपरांत निम्न निदेश दिये:–

➢ <u>कायाकल्प कार्यक्रमः–</u>

- सभी स्वास्थ्य संस्थानों प्रमुखों द्वारा कायाकल्प कार्यक्रम की तैयारी किया जाना अपेक्षित है।
- 1st Quarter Report 15th June, 2022 तक आवश्यक रूप से जिला स्वास्थ्य समिति को प्राप्त करना है। संबंधित उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन ससमय कार्रवाई पूरी कर लेंगे।

(अनुपालन–सिविल सर्जन / क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक)

9

➢ <u>लक्ष्य प्रमाणीकरण कार्यक्रमः–</u>

- पूर्णिया जिला के रेफरल अस्पताल, रूपौली का स्टेट एसेस्मेंट के लिए अनुरोध पत्र राज्य को भेजा जा चुका है। रेफरल अस्पताल, अमौर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल, धमदाहा का प्रगति अत्यंत धीमी है। सिविल सर्जन, पूर्णिया उक्त दोनों संस्थानों का स्वंय भ्रमण कर लक्ष्य प्रमाणीकरण की तैयारी की समीक्षा कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।
- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, पूर्णिया तथा अनुमण्डलीय अस्पताल, बनमनखी के प्रसव–कक्ष एवं मैटरनिटी ओ0टी0 का सर्विलेंस ऑडिट प्रस्तावित है। अधीक्षक एवं अस्पताल प्रबंधक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, पूर्णिया के प्रसव–कक्ष एवं मैटरनिटी ओ0टी0 का लक्ष्य प्रमाणीकरण हेतु सर्विलेंस ऑडिट की तैयारी सुनिश्चित करेंगे।
- किशनगंज जिला में लक्ष्य एवं कायाकल्प कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को निदेशित किया गया कि वे इसमें संतोषप्रद प्रगति लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा गुणवत्ता यकीन से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला गुणवत्ता यकीन कंसल्टेंट का प्रभार देने हेतु जिला योजना समन्वयक, किशनगंज का प्रस्ताव दिया गया जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सिविल सर्जन, किशनगंज को दिया गया।

(अनुपालन–सिविल सर्जन,किशनगंज)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

8/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 1526 **दिनांक** 01/06 **/2022**

प्रतिलिपि :–1. सिविल सर्जन/सहायक औषधि नियंत्रक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, आयुक्त कार्यालय,पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।